

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

कमांक/स्था.2/ई/स्थानां./24/2010/1183,

भोपाल, दिनांक 29-07-2010

/आदेश/

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी का स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कालेम कमांक 6 में अंकित विकास खण्ड में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के ज्ञय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि के पात्रता नहीं होगी :-

स. क्र.	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी का नाम	यूनिक आई.डी. कमांक	वर्तमान पदस्थापना	विकास खण्ड/जिले का डाइस कोड	स्थानांतरित विकास खण्ड का नाम एवं जिला	विकास खण्ड/जिले का डाइस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी	ax2044	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बदरवास जिला शिवपुरी	-	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा	-

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"


आयुक्त


लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक 29-07-2010

पृष्ठां. कमांक/स्था.2/ई/स्थानां./24/2010/1184,

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला शिवपुरी/रीवा।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला शिवपुरी/रीवा।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय रीवा, ग्वालियर म.प्र.।
6. जिला कोषालय जिला शिवपुरी/रीवा।
7. जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिवपुरी/रीवा की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर ले, कि स्थानांतरित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी वर्तमान में सेवारत है तथा स्थानांतरित विकास खण्ड में पद रिक्त है। पूर्ण रूप से आश्रय होने पर ही संबंधितों को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये जाये। यदि संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.